20/8/24

पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्ष अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। उभय पक्ष वकील की प्रार्थना-पत्र धारा 212 राजस्व अधिनियम 1955 की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा घोषणात्मक डिक्री का दावा पेश किया गया है। वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी है जिसके 1/6 हिस्से का प्रार्थी काबिज काश्त खातेदार है। प्रार्थी के नाबालिग होने का फायदा उठाकर अप्रार्थीगण ने अपना नाम वादग्रस्त आराजी में दर्ज करवा लिया जिस्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कभी भी कब्जा-काश्त नहीं रहा है। प्रार्थी ने यदि वाद में सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है तो प्रतिवादिगण उक्त वाद को अबेट करवाने हेतु अलग से प्रार्थना-पत्र पेश कर सकते हैं। संवत 2010-12 की जमाबंदी पेश की है जिसमें प्रार्थी का हक-हिस्सा प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावे।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी द्वारा घोषणात्मक डिक्री व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादग्रस्त आराजी मे कुल 48 सह खातेदार है जिनको प्रार्थी ने पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थी द्वारा पेश वाद के अनुतोष मे उसके द्वारा संपूर्ण भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का निवेदन किया है, जो कि कानूनी दृष्टि से अवैध है। कोई काश्तकार अपने हिस्से से अधिक आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। राजस्व मामलो मे लिखित रेकर्ड से तथ्यों व वाद की पुष्टि होनी चाहिए सिर्फ मौखिक साक्ष्यो से वाद की पुष्टि नहीं करवायी जा सकती है। दिनांक 05.10.1955 जब से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू हुआ है तब से कहीं भी प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नहीं रहा है। अप्रार्थीगण वकील द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे फर्द दस्तावेज के साथ शपथ-पत्र नवीन, बिंदू एवं कलुआ के पेश किये जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित आराजी प्रार्थी की पैतृक आराजी ना होकर विरासत से प्राप्त आराजी है। जब प्रार्थी का कभी कब्जा ही नहीं रहा तो उसे घोषणात्मक हुक्मइम्तनाई का वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही प्रार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जा सकता है। कानूनन रेकर्डेड खातेदार को निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र भारी हर्जाने के खारिज फरमाया जावे। हमने उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन किया। उभय पक्ष बहस एवं रेकर्ड के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध नहीं होता है। सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध नहीं होते है। अतः उभय पक्ष वकील बहस एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा	

न्यायालय उपखण्ड ... (अलवर) राज०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम की तामील
(कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०)	के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे-इजलास मे सुनाया गया। 20/8/24 उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	